

कार्यालय राजस्व निरीक्षक..... तहसील..... जिला

क्रमांक/...../रा०नि०/202....

तारीख.....

प्रति,

तहसीलदार महोदय
वृत्त-..... तह0-.....
जिला-.....

विषय :- निजी भूमिस्वामी हक की भूमि पर लगे सागौन के वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदाय करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन बावद।

संदर्भ:- कलेक्टर/अपर कलेक्टर के न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक...../अ-62/202....-2.... तारीख/...../202.... ।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के पालन में लेख है कि ग्राम प0ह0नं0-..... रा०नि०मं0-..... तह0-..... जिला-..... में स्थित आवेदक पिता/पति..... जाति..... निवासी-..... की भूमि ख0नं0-..... रकवा..... हे0 का स्थल निरीक्षण दिनांक..... को किया गया। मौके पर आवेदक/आवेदिका की भूमि ख0नं0-..... रकबा..... हे0 में संलग्न सूची आनुसार वृक्ष लगे होना पाये गये ! वृक्ष कटाई की अनुमति के संबंध में चाही गयी बिंदूवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जांच के बिन्दु	प्रतिवेदित बिंदु
1	आवेदक द्वारा उल्लेखित भूमि उसकी पैतृक कृषि भूमि है, क्रय की गई है अथवा शासन से आवंटित हुई है परीक्षण कर पुष्टि में सन हाल खसरा पांचसाला एवं मिसल की नकल संलग्न की जाये	
2	यदि उक्त भूमि अनावेदक द्वारा क्रय किया गया है तो पुष्टि में विक्रय पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किया जाए	
3	उक्त भूमि पर आवेदक के स्वामित्व एवं कब्जे में कोई विवाद हो तो विवाद का परीक्षण कर विवाद के समुचित ब्यौरे अभिलिखित किये जाये	
4	आवेदक द्वारा उक्त भूमिस्वामी भूमि स्थित वृक्ष आवेदक के खसरे में अंकित अथवा नहीं वृक्षों के स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज संलग्न किया जाये	

5	आवेदक द्वारा उसकी भूमि स्थित वृक्षों में से जिन वृक्षों को काटे जाने की अनुमति चाही गई है वे वृक्ष म0प्र0भ०रा0सं0 1959 की धारा 240 के अंतर्गत निर्मित नियमों के उप नियम 1 के अंतर्गत प्रतिवंधित कंडिका क से च की परीधि में समाविष्ट है अथवा नहीं सूची संलग्न की जावे	
6	आवेदक की उक्त भूमि स्वामी कृषि भूमि से वन विभाग का शासकीय वन एवं राजस्व का छोटे बड़े झाड़ का जंगल कितनी दूरी पर हैं पंचनामा सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये	
7	आवेदक की उक्त कृषि भूमि वर्तमान में कास्त की जा रही है अथवा पड़त है यदि भूमि पड़त है तों कब से पड़त है और पड़त रहने का वास्तविक कारण क्या हैं	
8	आवेदक भूमिस्वामी द्वारा उसके स्वामित्व की कृषि भूमि पर उगाये गये इमरती/गैर इमरती वृक्षों का मध्य प्रदेश वन उपज(व्यापार विनियमयन अधिनियम 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन वन विभाग में पंजीकरण कराया गया है अथवा नहीं स्थिति को स्पष्ट करते हुये उपरोक्त बिंदु सहित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र 3 में 15 दिवस की अवधि के अंदर प्रस्तुत किये जाने हेतु अ0वि0अ0 तहसील..... को भेजा जावे।	

भूमि खसरा न0 रकवा हेठो में सूची अनुसार सागौन वृक्ष हैं , खसरे में वक्ष दर्ज है जिनमें से सागौन वृक्ष कटाई की अनुमति चाही गयी हैं। शासन के नियमानुसार वक्ष कटाई की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सादर प्रेषित है ।

संलग्न - 1. पंचनामा, वक्षों की सूची मय मूल प्रकरण